

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2019/डी-1684

दिनांक:- 25/9/2019

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,

निदेशक,

मोजिका रियल एस्टेट एण्ड डवलपर्स प्रा.लि.,

704-706 कैलाश टावर, लाल कोठी स्कीम,

टोंक रोड जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 59 से 68, 69/213, 71 से 74, ग्राम चक सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के पार्ट-2 के प्रस्तावित प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2019 के संदर्भ में खसरा नम्बर 59 से 68, 69/213, 71 से 74, ग्राम चक सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के पार्ट-2 में स्थित भूखण्ड (18547.39 वर्गमीटर) पर स्टिल्ट + 34.80 मीटर = 40 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट-1 + बेसमेन्ट-2 + स्टिल्ट + प्रथम तल से 12 तल) के प्रस्तावित प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 214वीं बैठक दिनांक 14.06.2019 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 03.10.2023 (दिनांक 04.10.2016 को जारी लीजडीड के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेविएशन) नहीं किया जावेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रवर्तित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार टोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जावेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जावेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-09 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन-09 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवावेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्स की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।

18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जाये।
20. प्राईवेट ड्रवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मोके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लेब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मोके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
23. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
24. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "मूलतः तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
25. प्रसंगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निमित्त किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
30. Split Location, भूखण्ड संख्या 05, ग्राम सातलिंगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर पर प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के भवन का निर्माण जारी की गई स्वीकृति की दिनांक से 2 वर्ष के भीतर तैयार कर सूचना जयिप्रा को दी जानी होगी।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (17 मानचित्र)

भवदीय

(ओमप्रकाश पारीक)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (17 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (17 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मानचित्रों की प्रति (17 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जयिप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (17 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
8. उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(ओमप्रकाश पारीक)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



The diagram illustrates the water harvesting process. It shows a cross-section of the ground with a 'MAN HOLE COVER' at the top. Below it is a 'PERFORATED CASING PIPE' that passes through a '1st PIT' and a '2nd PIT'. The '1st PIT' contains 'STONE PEBBLES'. The '2nd PIT' is a larger pit. The pipe continues down to a 'BORE WELL'. The 'GROUND LVL' is indicated on both sides. An arrow shows 'EXCESS WATER FLOW' from the right side of the ground level towards the bore well.

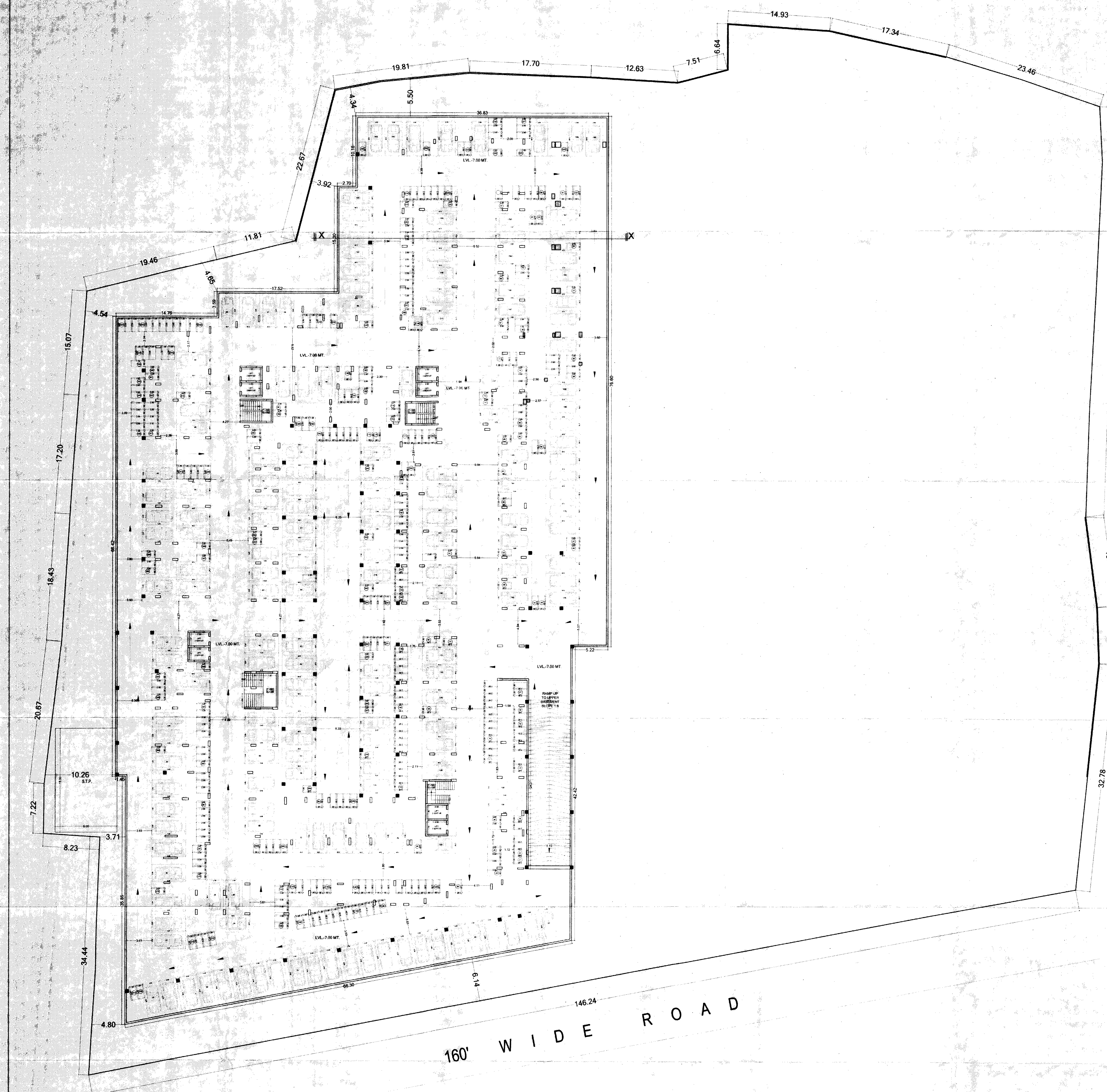
ARCHITECT:

VOLUME
ARCHITECTS
INDIA

117, 1A, 40TH STREET,
NEHRU SARAS WARD,
RAIPUR. (RAJASTHAN)

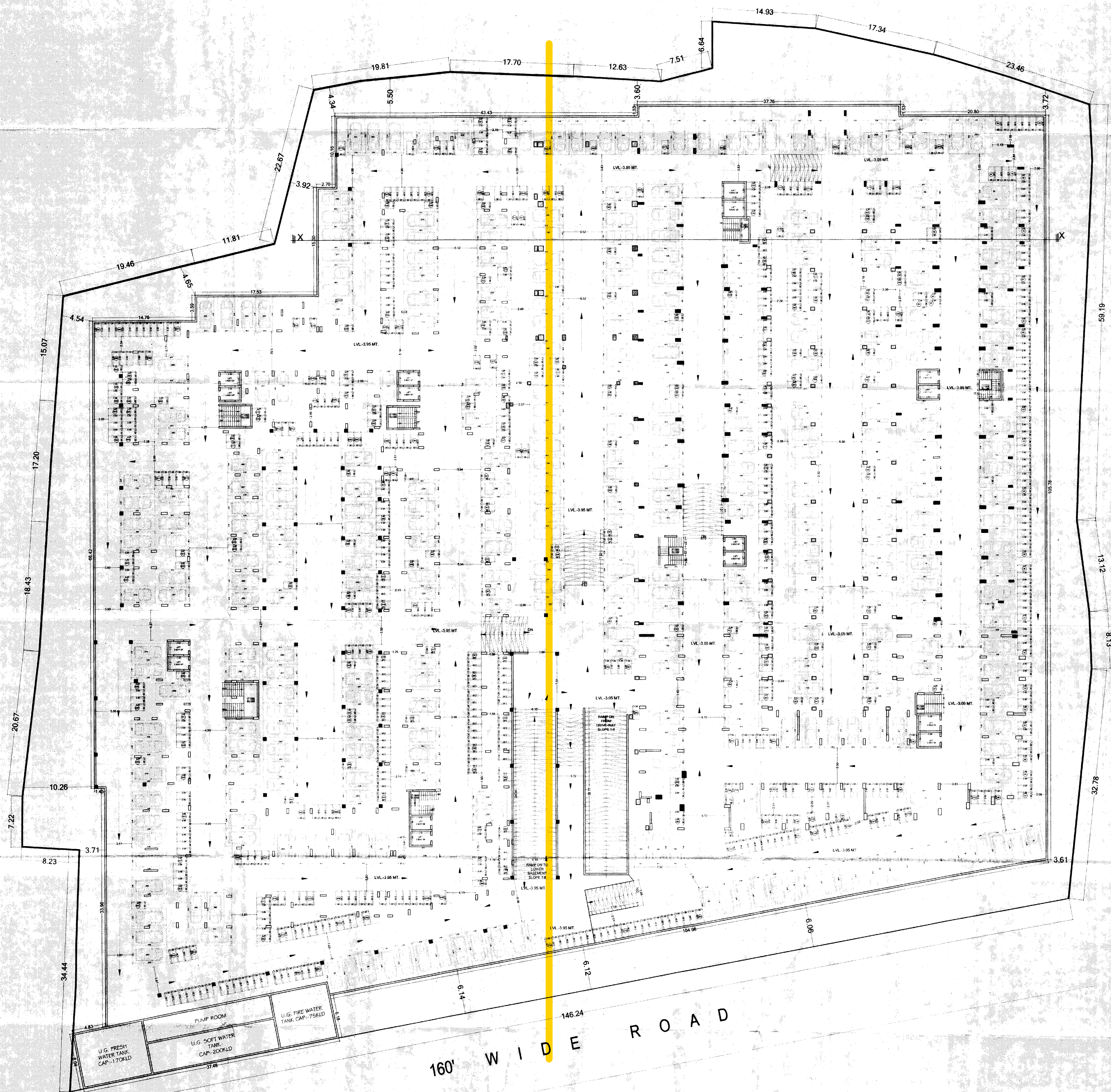
Ankur Shah
Ankur Shah
Architect
CA 9924119

अनुमोदित
०८१
२५/११/१९
अतिरिक्त मुख्य कार्य निरीक्षण
प्रधान मंत्री कार्यालय
प्रत्यक्ष विकास प्रभाग, जयपुर

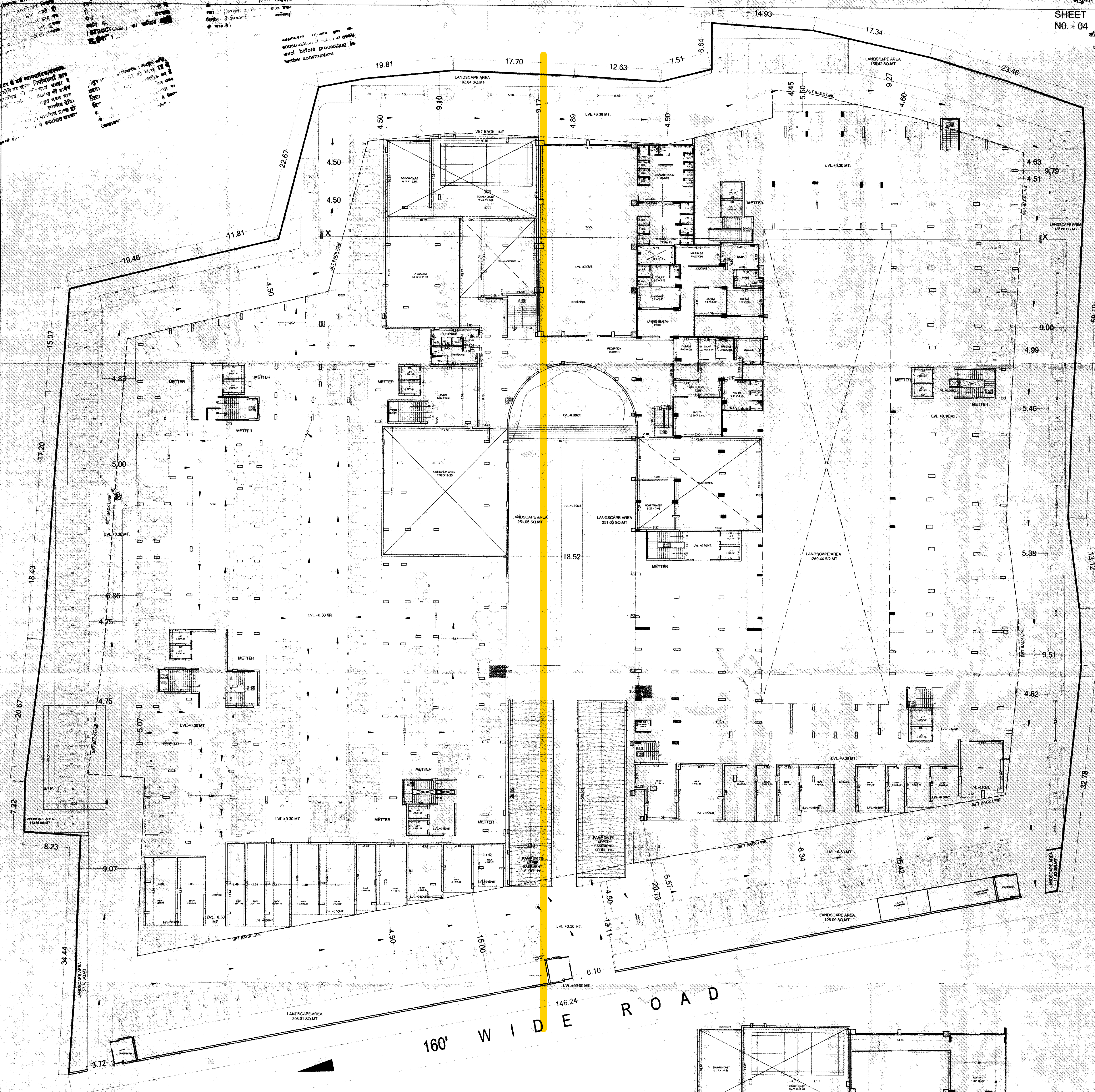


BASEMENT-1 FLOOR PLAN

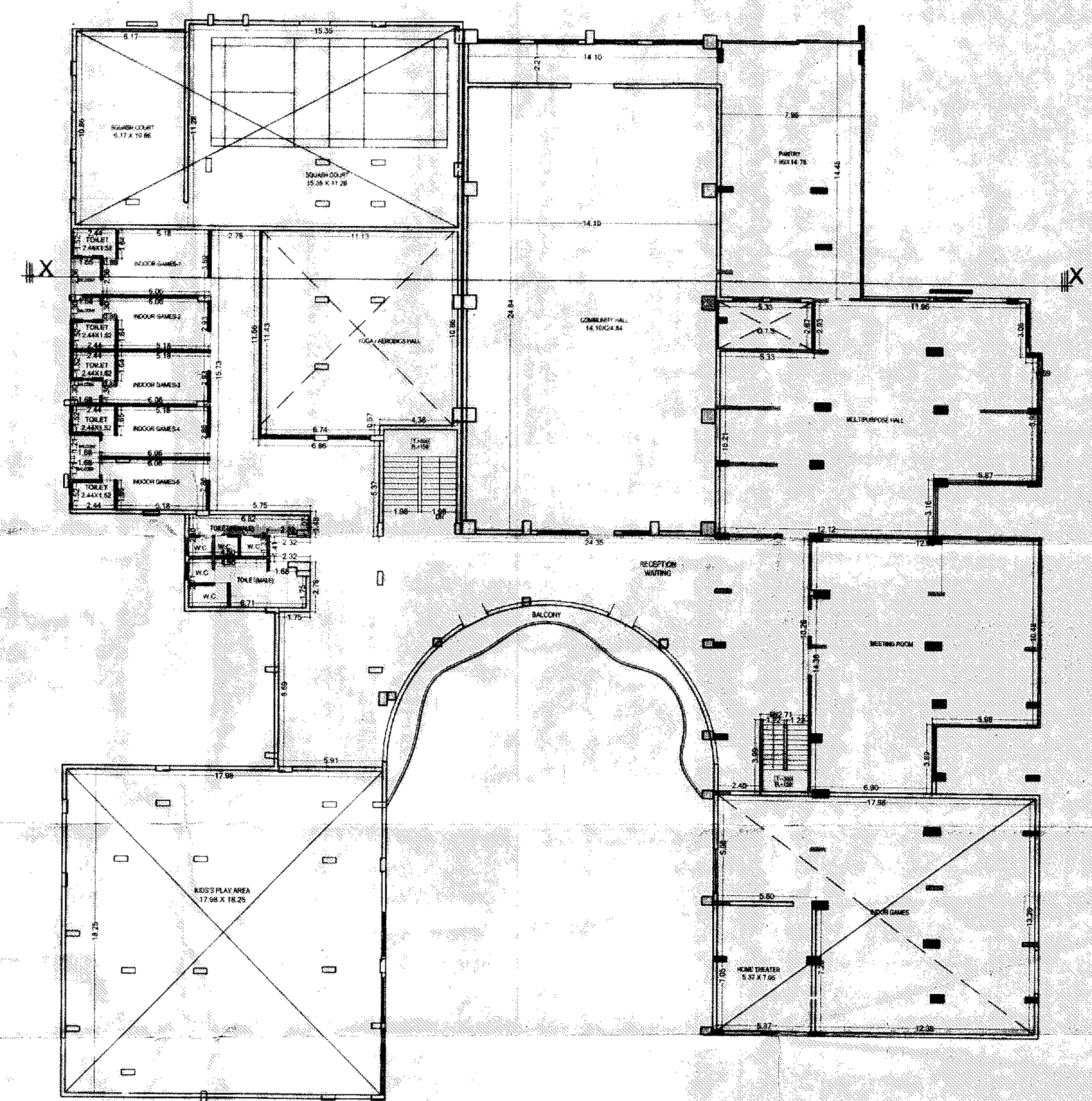
PROJECT TITLE PROPOSED APARTMENT PLAN OF PLOT NO K.NO- 59 TO 68,69/213,71 TO 74 AT VILLAGE CHAK SALI GRAM PURA,TEH.-SANGANER,JAIPUR	DRAWING NAME LOWER BASEMENT FLOOR PLAN	NORTH  N	SCALE 1:200	APPLICANT For M/s/ta Real Estate & Development (P) Ltd.  Director	ARCHITECT:  VOLUME ARCHITECTS U-17, 1st FLOOR, CHANDRANAGAR, JAIPUR, (RAJASTHAN) Ankur Shah Architect CA.99.64119
--	---	---	----------------------------------	---	---



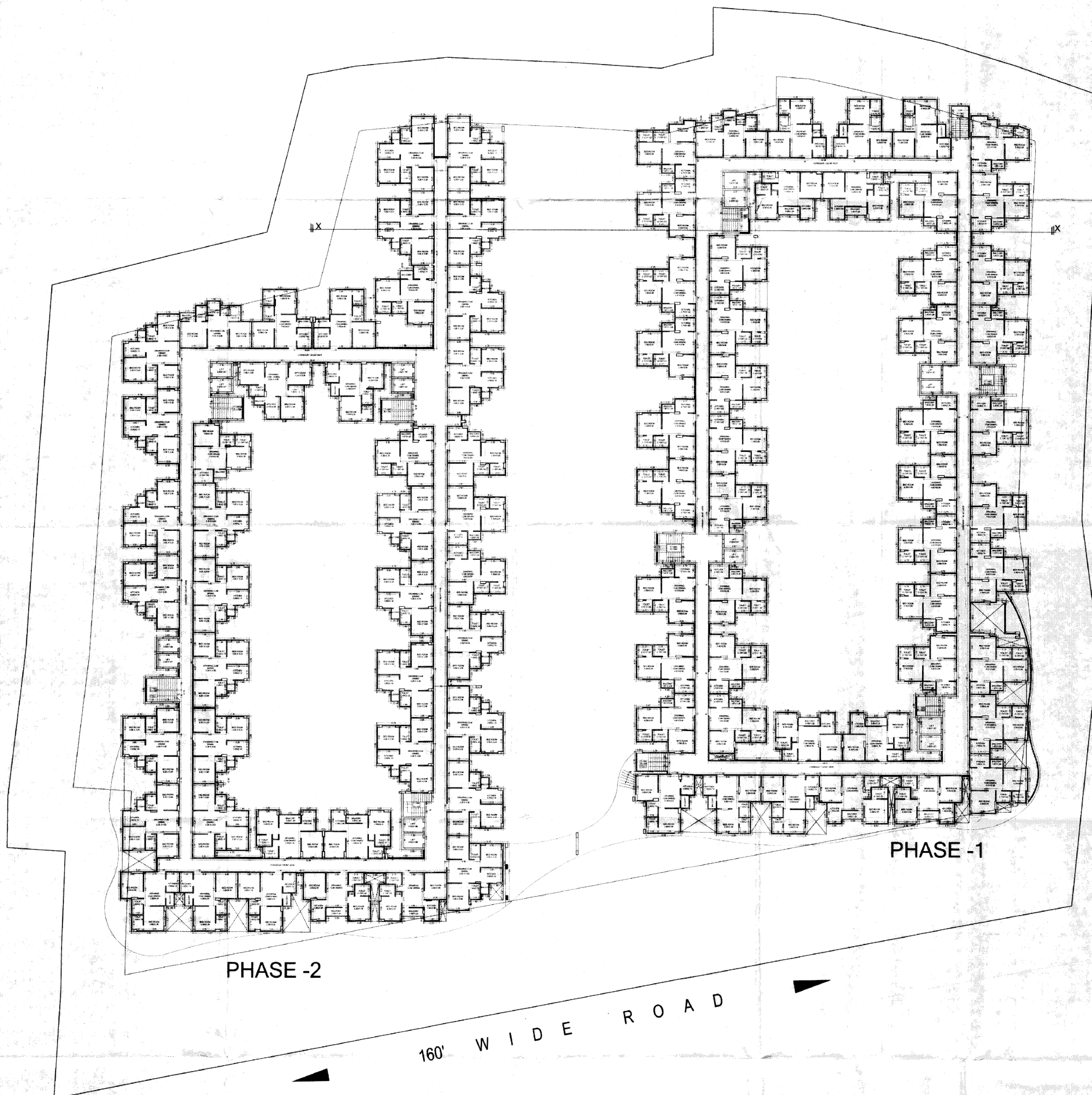
BASEMENT-2 FLOOR PLAN



STILT FLOOR PLAN FLOOR PLAN

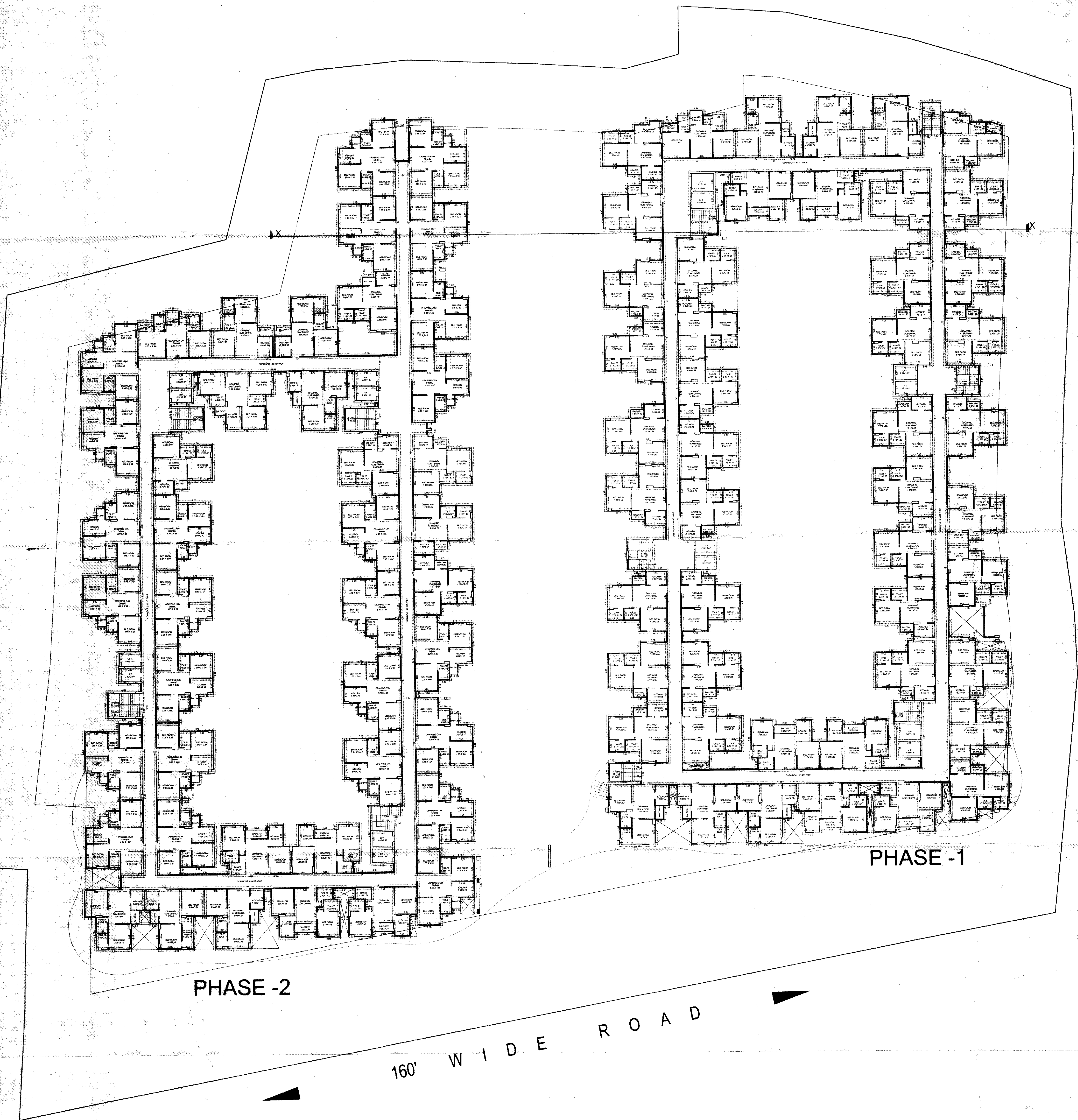


MEZZANINE FLOOR



FIRST FLOOR

PROJECT TITLE PROPOSED APARTMENT PLAN OF PLOT NO K.NO- 59 TO 68,69/213,71 TO 74 AT VILLAGE CHAK SALI GRAM PURA,TEH.-SANGANER,JAIPUR	DRAWING NAME FIRST FLOOR	NORTH 	SCALE 1:200	APPLICANT For M/s. Real Estate & Construction (P) Ltd. <i>[Signature]</i> Director	ARCHITECT VOLUME ARCHITECTS Ankur Shah Architect CA/96/24118
---	---	--	---------------------------	--	---



2nd & 8th FLOOR

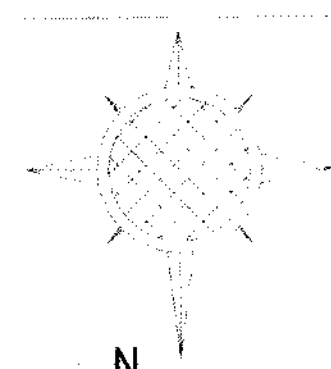
PROJECT TITLE

PROPOSED APARTMENT PLAN OF PLOT NO
K.NO- 59 TO 68,69/213,71 TO 74 AT VILLAGE
CHAK SALI GRAM PURA,TEH.-SANGANER,JAIPUR

DRAWING NAME

2nd & 8th FLOOR

NORTH



SCALE

1:200

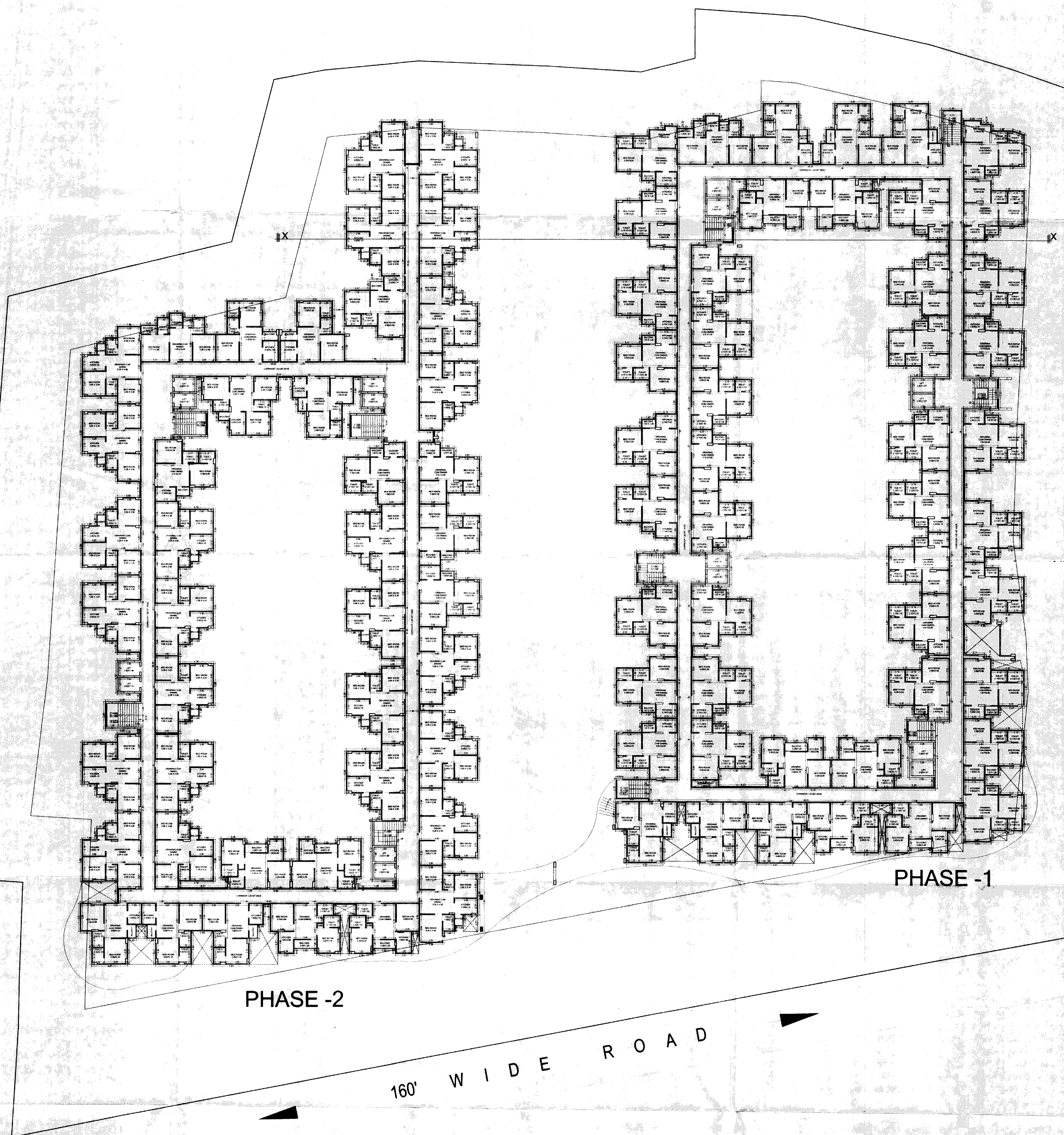
APPLICANT

For MayMa Real Estate & Developers (P) Ltd.

ARCHITECT



Ankur Shah
Ankur Shah
Architect
CA/99/24120



3 FLOOR

(Handwritten signature)
25/11/09
अतिरिक्त मुख्य पत्र निर्देशक
भवन भा. वि. प्र. मंडल
जयपुर जिला न्यायालय जयपुर



4 FLOOR

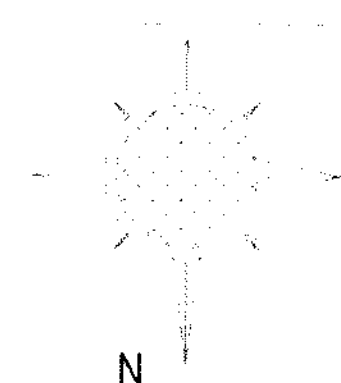
PROJECT TITLE

PROPOSED APARTMENT PLAN OF PLOT NO
K.NO- 59 TO 68,69/213,71 TO 74 AT VILLAGE
CHAK SALI GRAM PURA,TEH.-SANGANER,JAIPUR

DRAWING NAME

4th FLOOR

NORTH



SCALE

1:200

APPLICANT

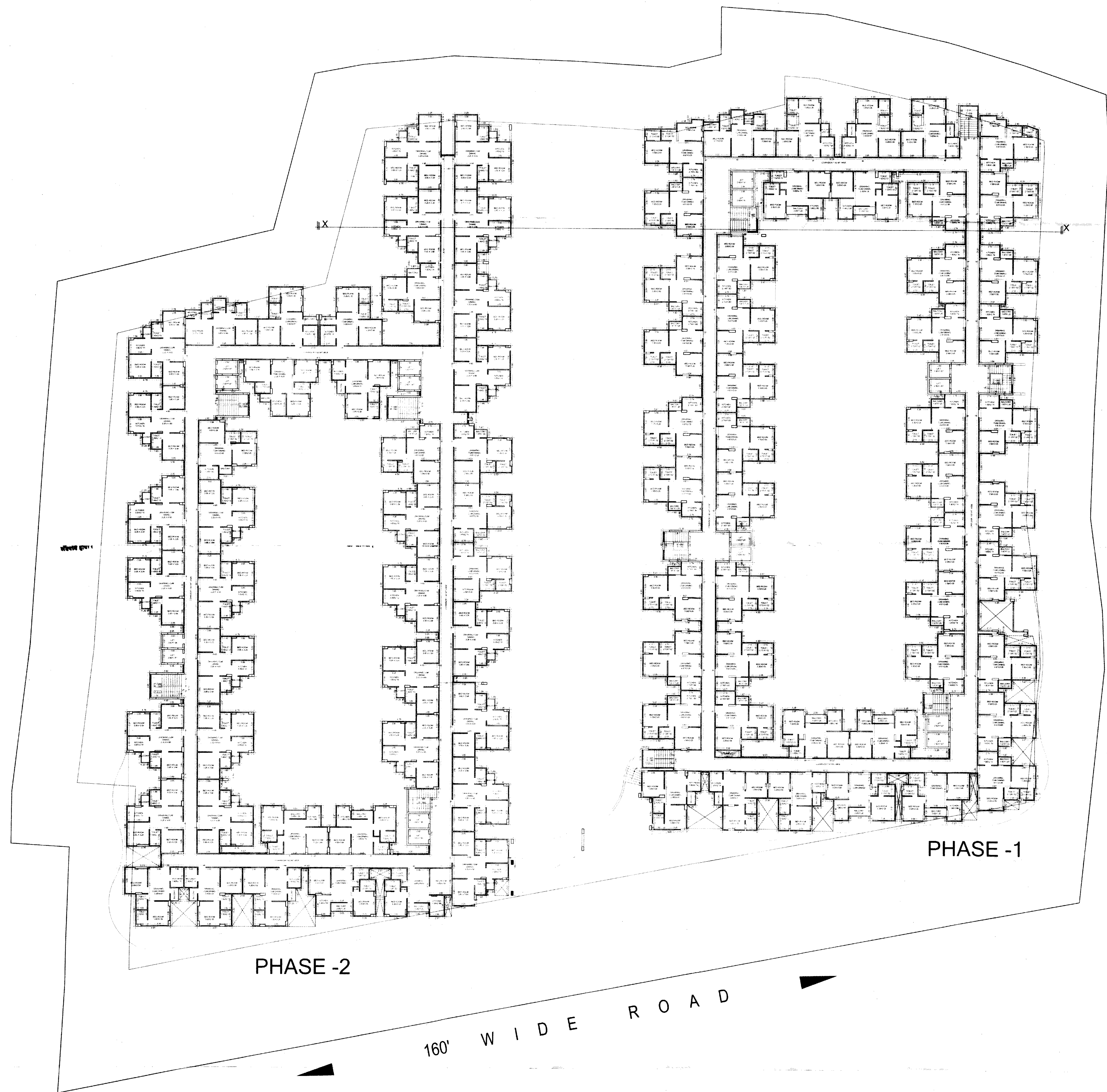
For Mojito Real Estate & Developers (P) Ltd
Director

ARCHITECT



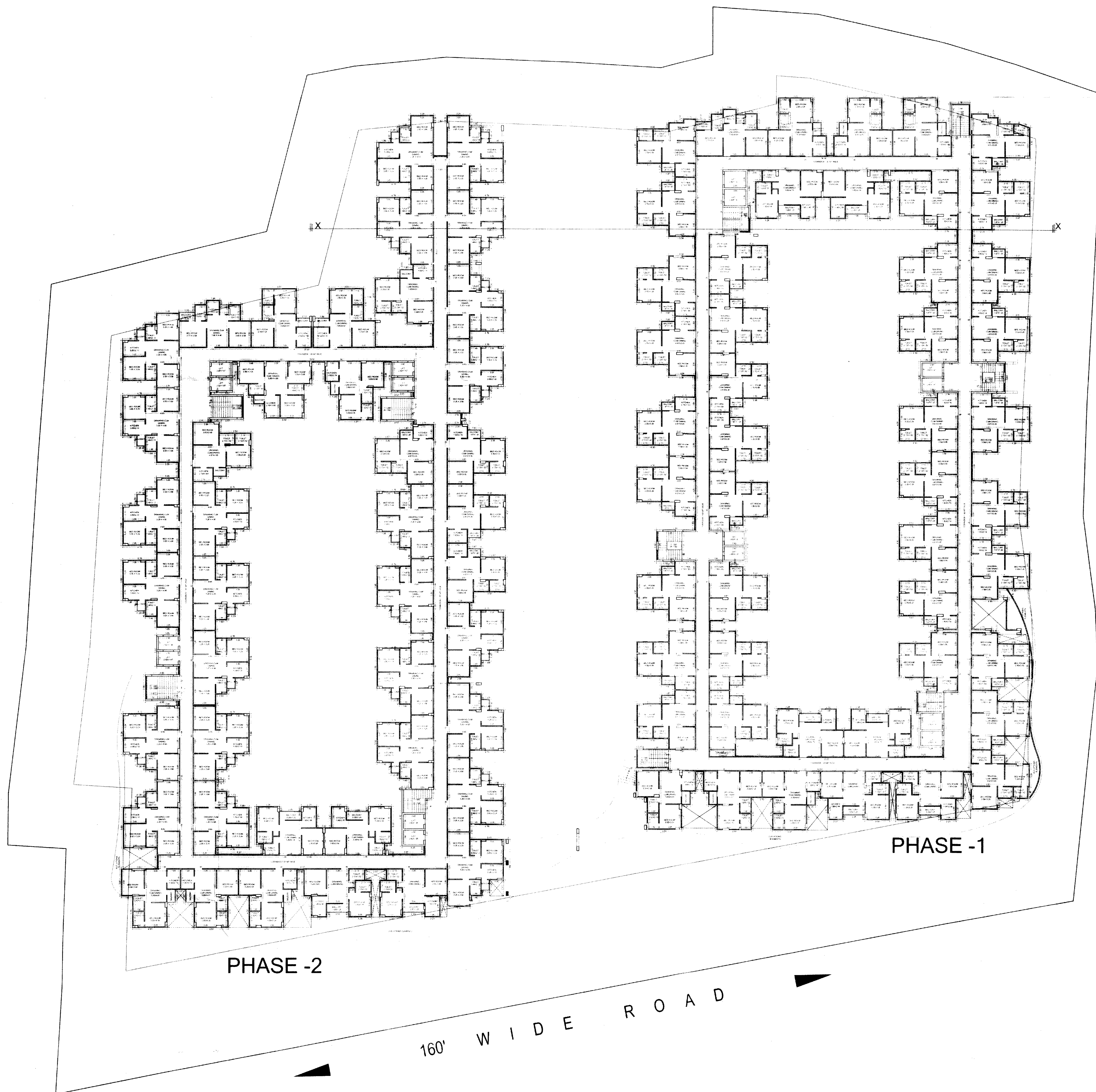
Ankur Shah
Architect
CA/0024118

25/9/19
नेयोजक
प्रति
जयपुर

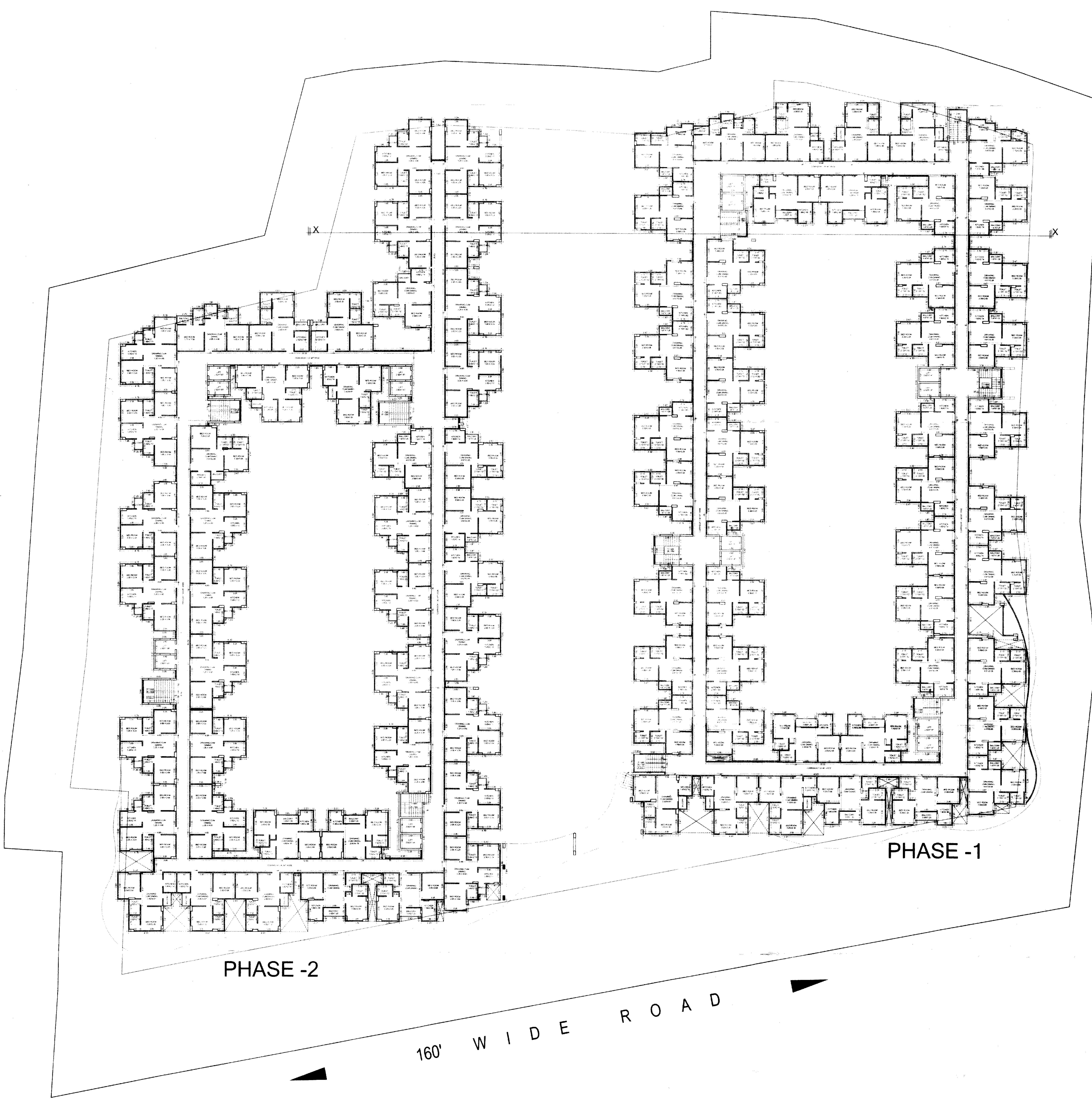


6 FLOOR

PROJECT TITLE	DRAWING NAME	NORTH	SCALE	APPLICANT	ARCHITECT
PROPOSED APARTMENT PLAN OF PLOT NO K.NO- 59 TO 68,69/213,71 TO 74 AT VILLAGE CHAK SALI GRAM PURA,TEH.-SANGANER,JAIPUR	6th FLOOR		1:200	For M/s The Estate & Development PVT Ltd  Director	 VOLUME ARCHITECTS 11/14, KANUN CHOK, JAIPUR (RAJASTHAN) Ankur Shah Architect CA/99/21119



10 FLOOR



11 FLOOR

अनुमति प्राप्त है कि इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।

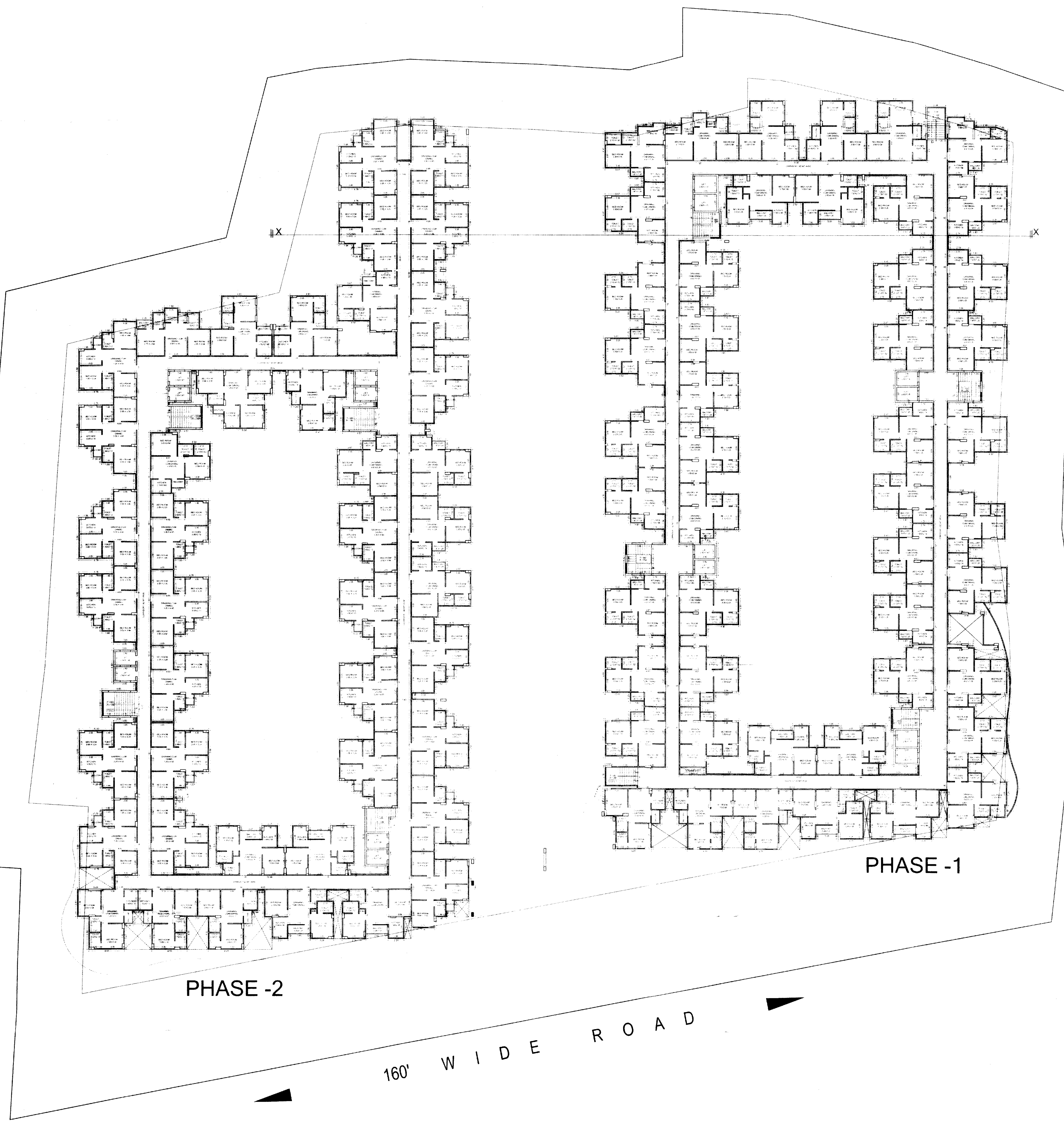
अनुमति प्राप्त है कि इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।

अनुमति प्राप्त है कि इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।

अनुमति प्राप्त है कि इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।

SHEET
NO. 13

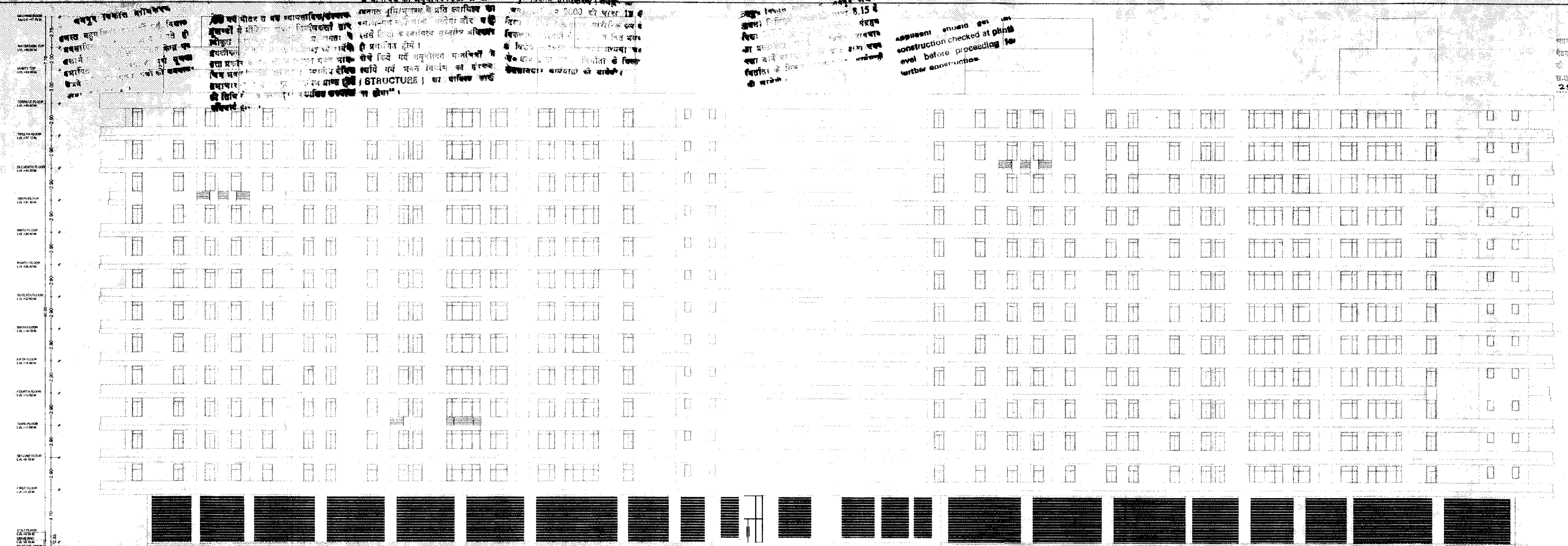
अनुमति प्राप्त है कि इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
इस योजना को लागू करने में बाधा न पड़े।
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का उल्लंघन करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।



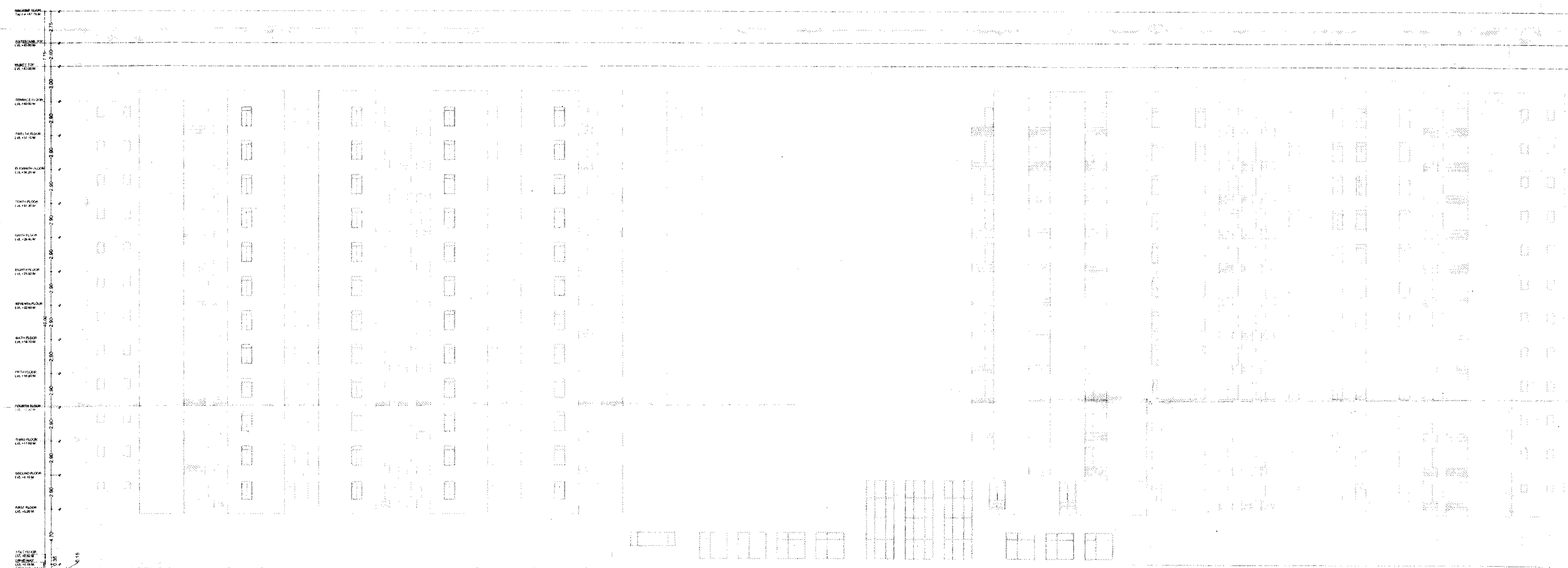
12 FLOOR

VOLUME
ARCHITECTS
117, 1st KOTHIKUMBE
MIRAU ZAHSE MARG,
PAIPUR (RAJASTHAN)

Ankur Shah,
Ankur Shah
Architect
CA-99/24110



FRONT(NORTH) ELEVATION



REAR (SOUTH) ELEVATION

PROJECT TITLE	DRAWING NAME	SCALE	APPLICANT	ARCHITECT:-
PROPOSED APARTMENT PLAN OF PLOT NO K.NO- 59 TO 68,69/213,71 TO 74 AT VILLAGE CHAK SALI GRAM PURA,TEH.-SANGANER,JAIPUR	FRONT ELEVATION & REAR ELEVATION	1:200	For Mojha Real Estate & Developers (P) Ltd. <i>[Signature]</i> Director	<i>Ankur Shah</i> Ankur Shah Architect CA 98/20119  117, LAL KOTHI SCHEME, NEW KUNJ SANKAR MARG, JAIPUR (RAJASTHAN)

Ankur Shah
Architect
CA/99/24119

अतिरिक्त मुख्य कार्य निरीक्षक
महानगरपालिका, जयपुर
जयपुर विकास प्रविधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य आय निजीजक
प्राप्त मालाव कालि
जयपुर विमान प्रविष्टि, जयपुर



PROJECT TITLE	DRAWING NAME	SCALE	APPLICANT	ARCHITECT:-
PROPOSED APARTMENT PLAN OF PLOT NO K.NO- 59 TO 68,69/213,71 TO 74 AT VILLAGE CHAK SALI GRAM PURA,TEH.-SANGANER,JAIPUR	EAST & WEST SITE ELEVATION	1:200	For Mojta Real Estate & Developers (P) Ltd.  Director	 Ankur Shah Architect CA/99/24119 1-17, LAL KOTHI SCHEME, NEHRU SAHAKAR MARG, JAIPUR. (RAJASTHAN)

1. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

2. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

3. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

4. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

5. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

6. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

7. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

8. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

9. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

10. The drawing is prepared in accordance with the provisions of the Indian Standards IS: 8753 Part I and Part II.

21/11/2019 16:47

25/11/2019 16:47

25/11/2019 16:47

25/11/2019 16:47

25/11/2019 16:47

25/11/2019 16:47

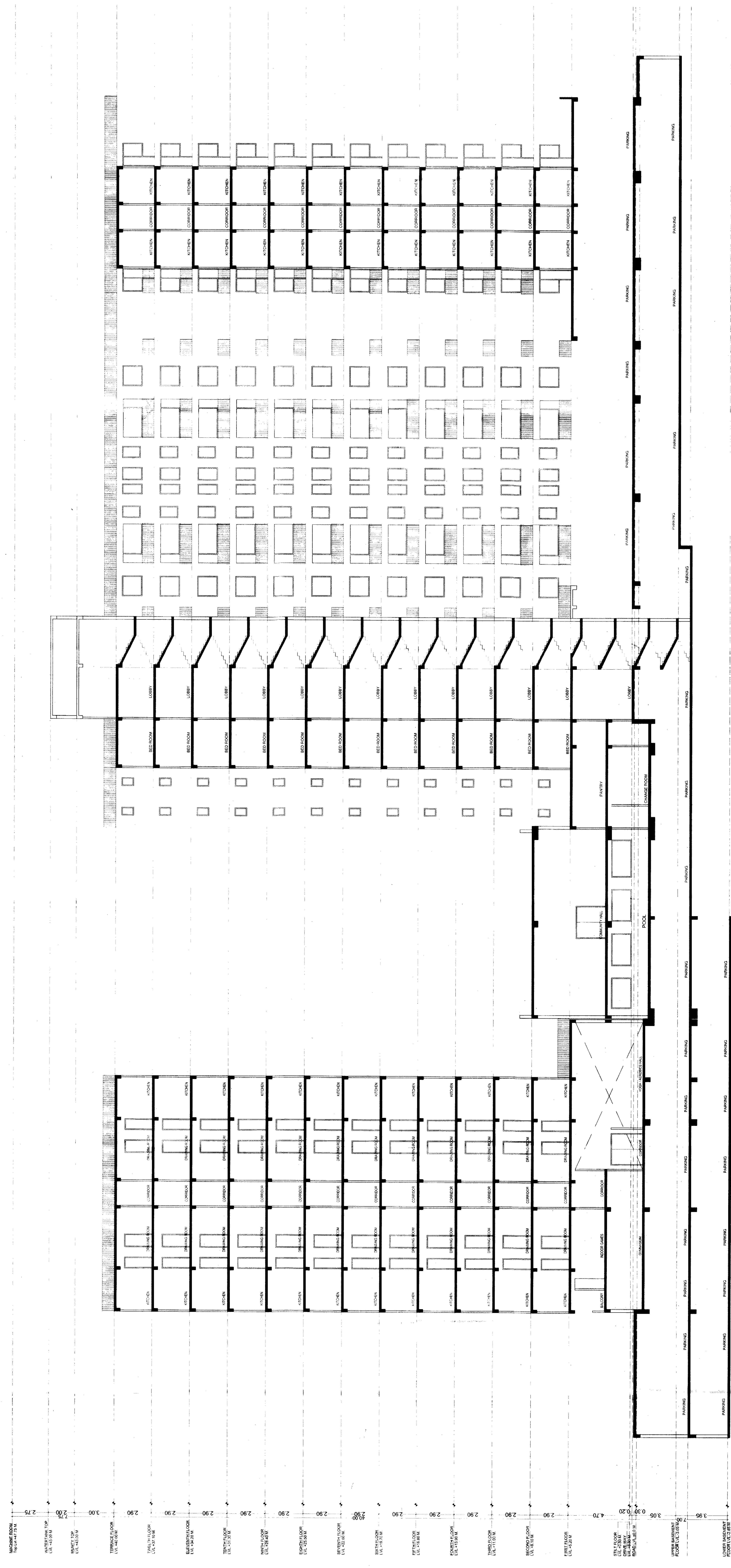
25/11/2019 16:47

25/11/2019 16:47

25/11/2019 16:47

25/11/2019 16:47

SHEET NO. -17



SECTION AT X-X

PROJECT TITLE

PROPOSED APARTMENT PLAN OF PLOT NO
K.NO- 59 TO 68,69/213,71 TO 74 AT VILLAGE
CHAK SALI GRAM PURA,TEH.-SANGANER,JAIPUR

DRAWING NAME

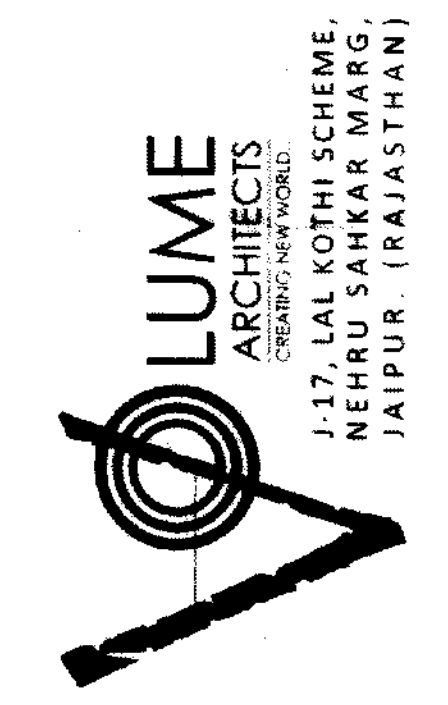
SECTION AT X-X

SCALE

1:100

APPLICANT

ARCHITECT:-



Ankur Singh
Architect
098681119

For: Shri. Ravi Kumar Singh
Director